बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-5/आ04-106/2010- 899

पटना, दिनांक- 25.10.16

जिला पदाधिकारी छपरा, सारण द्वारा अपने ज्ञापांक-1953, दिनांक-21.10.2010 द्वारा वर्ष 2010-11 में श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मशरख, सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, परसा के विरूद्ध सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मनमानी करने, लूट-खसोट करने, विभागीय दिशा निर्देश के विरूद्ध चापाकल बांटने, चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने का कार्य करने एवं अपराधिक षडयंत्र रचने के लिए भारतीय दंड विधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों की संगत धाराओं के तहत मशरख थाना में एफ0आई0आर0 संख्या-94/10, दिनांक-21.10.2010 दर्ज करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया है।

2. अतः उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मशरख के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (2) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विमल कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री विनोद कुमार, सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल, छपरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. आरोपित श्री प्रसाद, आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप प्रपत्र 'क' में उल्लेखित आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

5. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

A/Mithi order

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मशरख सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, परसा, जांच संचालन पदाधिकारी, श्री विमल कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री विनोद कुमार, सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल, छपरा को दी जाय।

25.10.2016

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक– संख्या–5/आ04–106/2010– 899 पटना, दिनांक– 25.10.16

प्रतिलिपि:–आरोप पत्र की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी, श्री विमल कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री विनोद कुमार, सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल, छपरा एवं श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मशरख सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, परसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.10.2016

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक– संख्या–5/आ04–106/2010– 899 पटना, दिनांक– 25.10.16

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 2/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.10.2016

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

A/Mithi order